भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2060**

दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 / 19 अग्रहायण 1937 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नई नागर विमानन नीति की विशेषताएं

2060. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री दुष्यंत चौटाला:
डॉ. भोला सिंह :
श्री मुथुमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):
श्री रवनीत सिंह:
श्री गोकाराजू गंगा राजू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में विमानन कंपनियों के प्रचालन की लागत घटाने और किफायती क्षेत्रीय संपर्क प्रदान करने हेतु नई नागर विमानन नीति बनाई है और यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार नई नीति के अंतर्गत कई करों को समाप्त करने और विमानन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीति के कार्यान्वयन पर किस प्रकार की संवृद्धि का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या प्रारूप नीति सार्क राष्ट्रों और देशों के साथ दिल्ली से 5000 किलोमीटर की परिधि से परे खुले आकाश को परिकल्पित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रारूप नीति में अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) कारोबार के लिए मेक इंडिया को एक क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के लिए अनेक उपकरों तथा शुल्क में छूट देने का सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कॉर्पोटाइज्ड करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा)

(क): मसौदा नागर विमानन नीति में क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के तहत आरसीएस मार्गों पर एक

घंटे की उड़ान के लिए मुद्रा स्फीति के अनुरूप सभी-समग्र विमान किराए प्रति व्यक्ति 2500 रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है।

(ख) और (ग): मसौदा नागर विमानन नीति में प्रदान किए गए आर्थिक प्रोत्साहन में -एमआरओ की परिणामी सेवाओं पर सेवाकर में छूट प्राप्त होगी और एमआरओ द्वारा प्रयुक्त विमान औजारों और औज़ार किटों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी, क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत बिकने वाली टिकटों को सेवाकर से छूट प्राप्त होगी। क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत हवाईअड्डों के द्वारा खपत किए गए विमान यातायात ईंधन को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त होगी। एमआरओ, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और हवाईअड्डे पर सह-स्थित एटीएफ अवसंरचना को आयकर अधिनियम की धारा 80-1ए के अंतर्गत लाभों के साथ अवसंरचना क्षेत्र से संबन्धित लाभ भी प्राप्त होंगे। इन प्रोत्साहनों के साथ यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय वाहकों के एमआरओ व्यवसाय के कुछ भाग, जो भारत के बाहर किए जा रहे हैं, वे देश में लौट आएंगे। आरसीएस के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन घरेलू यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे।

(घ): मसौदा नीति (जो कि मंत्रालय की वेबसाइट पर है) सार्क देशों और उन देशों जो नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की त्रिज्या से समग्र रूप से आगे अवस्थित हैं, के साथ पारस्परिक आधार पर 'ओपन स्काइ' हवाई सेवा करार पर केन्द्रित है।

(ड.): वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे एमआरओ की परिणामी सेवाओं पर सेवाकर ज़ीरो-रेटेड हो जाएगा और एमआरओ द्वारा प्रयुक्त औजारों और औज़ार किटों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

(च): मसौदा नगर विमानन नीति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निगमीकरण के लिए प्रावधान नहीं है।

*****